

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 541 ]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 26 दिसम्बर 2016—पौष 5, शक 1938

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2016

क्र. एफ-बी-1-38-2016-2-पांच, (27).—मध्यप्रदेश देशी मदिरा नियम, 1995 के नियम 3-च के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-52-2010-2-पांच (4), दिनांक 28 जनवरी 2011 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, वर्ष 2016-17 के लिए प्रत्येक किस्म की देशी स्पिरिट के पैकिंग सामग्रीवार (जैसे कांच, पैट इत्यादि) एवं उपयोगिता के अनुसार (जैसे स्थानीय, निर्यात इत्यादि) और पात्र की धारितावार (जैसे 750, 375, 180 मिलीलीटर इत्यादि) के लेबलों के पंजीयन हेतु समेकित रूप में, लेकिन उपार्जन के प्रत्येक स्रोत के लिये पृथक्-पृथक् प्रति नामपत्र (लेबल) पंजीयन फीस निम्नानुसार विहित करती है :—

“सारणी

अनुक्रमांक (1)	देशी मदिरा की किस्म (2)	पंजीयन फीस (3)
1.	देशी मदिरा (मसाला) (प्रत्येक फ्लेवर के लिए पृथक्-पृथक्).	रुपये 50,000/- प्रत्येक बॉटलिंग भाण्डागार के लिए
2.	देशी मदिरा (प्लेन) (सादा अथवा प्रत्येक फ्लेवर के लिए पृथक्-पृथक्).	रुपये 50,000/- प्रत्येक बॉटलिंग भाण्डागार के लिए.”

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2016 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2016

क्र. बी-1-38-2016-2-पांच, (27).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-38-2016-2-पांच, (27), दिनांक 26 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 26th December 2016

No. F-B-1-38-2016-2-V (27).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 3-F of the Madhya Pradesh Country Spirit Rules, 1995 and in supersession of this Department's Notification No. B-1-52-2010-2-five (4), dated 28th January 2011, issued in this behalf, the State Government, hereby, determines for the year 2016-17, the consolidated lable registration fee for each type of country spirit separate for each source of supply, packing material wise (viz Glass, Pet etc.), and usage wise (viz local export etc.) and containers capacity wise (viz 750, 375, 180 mililiters etc.).

“TABLE

S. No. (1)	Type of Country Spirit (2)	Registrations Fees (3)
1.	Country Spirit (spice) (separate for each flavour).	Rs. 50,000/- For each bottling warehouse
2.	Country Spirit (Plain) (separate for plain or each flavour).	Rs. 50,000/- For each bottling warehouse.”

2. This notification shall be deemed to have come into force from 1st April 2016.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.